खबर कोना

तेजाब हमले की पीड़िता कफी को 12वीं के परीक्षा परिणाम में 95 फीसद अंक प्राप्त करने पर सम्मानित करतीं चंडीगढ़ की महापौर हरप्रीत कौर बबला।

स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए 19 से होंगे आवेदन

चंडीगढ़, 15 मई (जनसत्ता)।

हरियाणा में बारहवीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब स्नातक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने केंद्रीकृत आनलाइन प्रवेश पटल खोलते हुए सभी महाविद्यालयों को 17 मई तक प्रोफाइल अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को नामांकन के लिए 19 मई को पटल खोल दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी राजकीय महाविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी महाविद्यालयों को शनिवार तक पटल पर महाविद्यालय में कराए जाने वाले पाठ्यक्रम, विषय और सीटों सहित अन्य जानकारियां देनी होंगी।

अमृतसर में जहरीली शराब से चार और लोगों की मौत

चंडीगढ़, 15 मई (ब्यूरो)।

पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब के कारण पिछले 24 घंटे में चार और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि चारों में से तीन मौतें भंगवान गांव में और एक गालोवाली कुल्लियां गांव में हुई। इस बीच, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मजीठा क्षेत्र के गांवों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों को दस-दस लाख रुपए के चेक वितरित किए। धालीवाल ने कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार अस्पताल में भर्ती लोगों को मुफ्त उपचार मुहैया करा रही है और प्रत्येक को दो लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस त्रासदी के शिकार ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे।

मानेसर भूमि घोटाले में हुड्डा व अन्य आरोपियों को झटका

आरोप तय करने व समन आदेश रद्द करने की मांग हाई कोर्ट से खारिज

चंडीगढ़, 15 मई (जनसत्ता)।

मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कई आइएएस अधिकारी हैं आरोपी।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में हुड्डा समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने व समन आदेश को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इस बारे में अभी विस्तृत फैसले का इंतजार है।

यह याचिका हरियाणा सरकार के पूर्व अधिकारी राजीव अरोड़ा, एसएस ढिल्लो, छतर सिंह, एमएल तायल, जसवंत सिंह, अनिल कुमार, एस ढींगरा, कुलवंत सिंह लांबा ने दायर की थी। उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया था और इनमें कुछ बिल्डर भी शामिल हैं। इस भूमि घोटाले के मामले में सीबीआइ अदालत में सुनवाई पर चार साल से रोक लगी हुई है। एक सुनवाई में सीबीआइ ने आवेदन दायर कर अदालत से सुनवाई की वास्तविक तारीख तय करने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सीबीआइ अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होने की उम्मीद जगी है।

सीबीआइ ने पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा की ओर से दायर मुख्य याचिका के संबंध में आवेदन दायर किया था, जिनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। एक दिसंबर 2020 को तत्कालीन विशेष सीबीआइ न्यायाधीश (पंचकूला) जगदीप सिंह ने राजीव अरोड़ा को धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध के लिए अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था।

इसके खिलाफ अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। अपनी याचिका में अरोड़ा ने दावा किया था कि सीबीआइ अदालत ने गलत तरीके से सीबीआइ को उनके खिलाफ कथित अपराध सामग्री को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखने और उनके अभियोजन के लिए भष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी। इस पर सीबीआइ ने अदालत से सुनवाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया था ताकि पिछले चार वर्षों से जो रोक लगी हुई है, उस पर अंतिम सुनवाई और निपटारा किया हो सके।

देशभक्ति सेक्टर-17 के प्लाजा में शहरवासियों के साथ तिरंगा यात्रा निकालते चंडीगढ़ भाजपा के कार्यकर्ता। -कमलेश्वर सिंह

जेल में मादक पदार्थ व मोबाइल की तस्करी के आरोप में डीएसपी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 15 मई (ब्यूरो)।

परिवार के सदस्यों से जुड़े यूपीआइ खातों में तस्करी की एवज में मिलने वाली राशि हासिल करता था।

पंजाब की संगरूर जेल में मादक पदार्थ और मोबाइल फोन की तस्करी में शामिल होने के आरोप में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने जेल में छापेमारी के दौरान नौ मोबाइल फोन, चार स्मार्ट घड़ी, 50 ग्राम हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शुरुआती जांच में जेल में तस्करी की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी की भूमिका होने के संकेत मिले हैं।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मामले के सभी पहलुओं को जोड़ने के बाद अमृतसर से मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो संगरूर जेल में कैद गुरविंदर सिंह का साथी है। पुलिस ने मनप्रीत के पास से चार किलोग्राम हेरोइन, 5.5 लाख रुपए नकद, एक ग्लाक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए।

जांच के दौरान संगरूर जेल के पुलिस उपाधीक्षक (सुरक्षा) गुरप्रीत सिंह को जेल के अंदर तस्करी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े यूपीआइ खातों में तस्करी की एवज में मिलने वाली राशि हासिल करता था। यादव ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे कुछ और गिरफ्तारियां एवं खुलासे होने की संभावना है।

बैठक में तैयार की कार्ययोजना

उत्तराखंड से गुजरात तक होगा सरस्वती का प्रवाह

चंडीगढ़, 15 मई (जनसत्ता)।

उत्तराखंड के बंदरपूंछ हिमनद (ग्लेशियर) से गुजरात के 'रण आफ कच्छ' तक सरस्वती की जलधारा प्रवाहित होगी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून व सर्वे आफ इंडिया मिलकर सरस्वती के पुराप्रणाल (पैलियो चैनल) बनाने का काम करेंगी। गुरुवार को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के मुख्यालय में उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में कार्ययोजना तैयार की गई।

बैठक के दौरान उत्तराखंड के हिमनद, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक पुराप्रणाल बनाने पर मंथन हुआ। किरमिच ने बताया कि नायब सरकार ने नदियों के जीर्णोद्धार पर काम कर रही है, जिसका

उद्देश्य हरियाणा के किसानों को सिंचाई के साधन मुहैया करवाना है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सरस्वती के प्रवाह को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है।

उत्तराखंड हिमनद से लेकर आदिबद्री तक जलप्रवाह को नियमित करने के साथ दूसरे प्रदेशों में भी सरस्वती के पानी को पहुंचाने पर बोर्ड का ध्यान केंद्रित है, ताकि सरस्वती नदी का पानी 12 महीने प्रवाहित किया जाए। जीएसआइ टीम ने 150 किलोमीटर लंबे यमुनानगर-कुरुक्षेत्र शुत्राना पुराप्रणाल (पैलियो चैनल) और यमुना नदी से इसकी 'अपस्ट्रीम कनेक्टिविटी' का भी भूभौतिकीय सर्वेक्षण के माध्यम का ब्योरा प्रस्तुत किया।

धुम्मन सिंह किरमिच ने बताया कि अभी सरस्वती नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी और टांगरी नदी बरसाती नदी है। बैठक में विवरण के लिए जीएसआइ के पांच साल के अध्ययन के निष्कर्षों की जांच करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग चंडीगढ़ के निदेशक संजय कुमार, जीएसआइ लखनऊ के उप निदेशक संजीव कुमार, हिमाचल से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जोगेंद्र चौहान, सरस्वती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार सुप्रवीन, वित्त अधिकारी अनिल कुमार, अधीक्षक अभियंता अरविंद कौशिक, अनुसंधान अधिकारी दीपा नथालिया मौजूद रहीं।

जल बंटवारे पर हरियाणा-पंजाब में गतिरोध जारी

चंडीगढ़, 15 मई (ब्यूरो)।

बीबीएमबी की बैठक में पंजाब के मंत्री ने कहा, हरियाणा ने 21 मई से प्रतिदिन 10,300 क्यूसेक पानी की मांग रखी है। यह मांग पंजाब सरकार द्वारा कुछ दिन पहले प्राप्त की गई उनकी मांग से कहीं अधिक है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति की बैठक के दौरान 21 मई से शुरू होने वाले अगले साल के चक्र के लिए पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच गतिरोध कायम रहा। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि हरियाणा ने 21 मई से प्रतिदिन 10,300 क्यूसेक पानी की मांग रखी है।

यह मांग पंजाब सरकार द्वारा कुछ दिन पहले प्राप्त की गई उनकी मांग से कहीं अधिक है। उन्होंने लिखा था कि उन्हें 21 मई से 9,525 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। अचानक बैठक में उन्होंने 10,300 क्यूसेक पानी मांगना शुरू कर दिया। पंजाब के अधिकारियों ने हरियाणा से कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि भाखड़ा मुख्य लाइन (बीएमएल) नहर की क्षमता 11,700 क्यूसेक है। पंजाब के निवासियों की पीने की जरूरतों के लिए 3,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। भाखड़ा मुख्य लाइन नहर पहले से ही मरम्मत और रखरखाव के अधीन है। पानी की रिहाई इस हिसाब से होगी कि यह कितना दबाव झेल सकती है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ने भी फिर से 8,500 क्यूसेक की मांग उठाना शुरू कर दिया, जबकि यह मुद्दा अदालत में है और पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा से यह भी कहा कि वह उन्हें 3 अप्रैल से 4,000 क्यूसेक अतिरिक्त दे रहे हैं। जब पंजाब की मांग बढ़ेगी तो वह इसे वापस ले लेंगे। गोयल ने कहा कि इस पर बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने राज्य के अधिकारियों से शांति बनाए रखने को कहा। बैठक में पंजाब की ओर से जल संसाधन सचिव कृष्ण कुमार और मुख्य अभियंता शेर सिंह मौजूद थे।

हरियाणा और राजस्थान का प्रतिनिधित्व उनके अधिकारियों ने किया, जबकि केंद्र के प्रतिनिधि बैठक में आनलाइन जुड़े। बैठक की अध्यक्षता बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने की। पंजाब 20 मई तक भी तक अपना 100 फीसद कोटा इस्तेमाल नहीं कर पाया है।

महिला आयोग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पढ़ा और समझा : महमूदाबाद

चंडीगढ़, 15 मई (ब्यूरो)।

'आपरेशन सिंदूर' के संबंध में सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा तलब किए गए सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय के सह-प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद ने गुरुवार को कहा कि आयोग ने उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पढ़ा और समझा है।

विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष महमूदाबाद ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक सार्वजनिक बयान में कहा, '...मुझे आश्चर्य है कि महिला आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए मेरी पोस्ट को इस हद तक गलत तरीके से पढ़ा और गलत समझा कि उसने इसका अर्थ ही बदल दिया।' हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 12 मई को महमूदाबाद को एक नोटिस भेजा था।

वहीं, भारतीय सेना के 'आपरेशन सिंदूर' पर टिप्पणी करने वाले अशोका विश्वविद्यालय के सह-प्राध्यापक का बयान दर्ज करने पहुंचीं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष को विवि परिसर में 'कंडोम वेंडिंग मशीनें' लगी मिलीं। इस पर अध्यक्ष ने इस मामले में विवि प्रबंधन से जवाब तलब किया है। आयोग ने प्रोफेसर को 23 मई तक महिला आयोग, पंचकूला में तलब किया है।

धान पराली आधारित वाष्पक लगाने के लिए मिलेगा उपदान

चंडीगढ़, 15 मई (ब्यूरो)।

पंजाब सरकार धान की पराली आधारित वाष्पक (बायलर) लगाने के लिए उद्योगों को पूंजीगत उपदान देगी। कैबिनेट व उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वाष्पक में ईंधन के रूप में धान पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों को समर्थन देने के लिए पूंजीगत उपदान के रूप में 60 करोड़ रुपए की धनराशि का निर्धारण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आठ टन क्षमता वाले धान पराली पर आधारित नए वाष्पक की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपए की पूंजी उपदान और 16 टन क्षमता वाले वाष्पक के लिए दो करोड़ रुपए का उपदान देगी। मौजूदा वाष्पक को आठ टन क्षमता वाले धान पराली पर आधारित वाष्पक में बदलने के लिए 50 लाख रुपए और 16 टन क्षमता वाले वाष्पक के लिए एक करोड़ रुपए का उपदान दिया जाएगा।

हरियाणा में रोजाना लापता हो रहे 45 लोग, आयोग ने मांगी रपट

चंडीगढ़, 15 मई (जनसत्ता)।

एक तिमाही में 4,100 की हो चुकी गुमशुदगी। पानीपत से एक ही दिन में आठ लड़कियों के लापता होने की सूचना सामने आ चुकी है।

हरियाणा से रोजाना औसतन 45 लोग लापता हो रहे हैं। इनमें कई मामले अपहरण से भी जुड़े हुए हैं। राज्य में पहली तिमाही के दौरान करीब 4,100 लोग लापता हुए हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश से पुलिस महानिदेशक से आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत रपट तलब की है। आयोग ने प्रदेश से अपहरण व गुमशुदगी मामलों के बारे में रपट मांगी है।

हरियाणा में पहले भी मानव तस्करी के मुद्दे सामने आते रहे हैं। विधानसभा में पूर्व विधायक प्रेम लता मानव तस्करी व लड़कियों के लापता होने का मुद्दा भी उठा चुकी हैं। हाल ही में इस बीच न्यायाधीश ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले आयोग के आदेशानुसार गुमशुदा व्यक्तियों का मुद्दा गहन मानवीय पीड़ा और संकट को दर्शाता है।

गुमशुदा लोगों के परिवारों को गंभीर मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है, विशेषकर तब जब उन्हें यह जानकारी तक नहीं होती कि उनके प्रियजन जीवित हैं या नहीं। इस असमंजस से उत्पन्न मानसिक तनाव, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट जैसी समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। यहां तक कि जब गुमशुदा व्यक्ति मिल भी जाते हैं, तब भी उनके और उनके परिवारों के लिए सामान्य जीवन में वापसी आसान नहीं होती।

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय: ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा ए क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु -560095
क्षेत्रीय कार्यालय : जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.)- 201301
शाखा कार्यालय : अग्रसेन पुरम कॉलोनी, अंबाला रोड, पीएनबी बैंक के बगल में, कैथल, हरियाणा- 136117
संपर्क व्यक्ति: 1. गौरव राठी:- 9999982989; **2. आशीष चौधरी:**- 9875980425

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी "जैसा है जहां है" और "जैसा है यही है" के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र सं	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह-कर्जदार /गारंटर के नाम	13-2 मांग सूचना तिथि तथा मांग राशि	कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रुपए में	बयाना राशि (ईएमडी) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण
1.	22892101 80000001	**श्री दिनेश कुमार** पुत्र सुखबीर सिंह, निवासी एफएलजीवाई तीर्थ फराल के पास, सरकारी अस्पताल के पीछे, फरल, कैथल, हरियाणा - 136021, इसके अलावा: श्री दिनेश कुमार पुत्र सुखबीर सिंह, प्रो. **मैसर्स ध्रुव कलेक्शन**, निवासी रेलवे रोड ढांड, जिला कैथल, कैथल, हरियाणा- 136021, **श्री विपिन कुमार** पत्नी सुखबीर सिंह, निवासी एफएलजीवाई तीर्थ फरल के पास, सरकारी अस्पताल के पीछे, फरल, कैथल, हरियाणा- 136021, **श्रीमती सुनीता** पत्नी सुखबीर सिंह, निवासी एफएलजीवाई तीर्थ फरल के पास, सरकारी अस्पताल के पीछे, फरल, कैथल, हरियाणा - 136021	17.07.2021 19,11,922/- रु.	04.02.2025	40,67,142/- रु. (17.02.2025 तक)	27.05.2025 अपराह्न 2:00 बजे पूर्व नियुक्ति पर	18,82,000/- रुपए	1,88,200/- रुपए	03.06.2025 11:00 पूर्वा. से 12:00 अप. तक	02.06.2025 अपराह्न 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में कैथल शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से खाता संख्या 22011013462001 IFSC UJVN0002201 पर भेजा जाना चाहिए।

संपत्ति: भूमि और भवन, क्षेत्र/प्लॉट क्षेत्र का 300 वर्ग गज (0के-10एम) जो खेवट संख्या 241, खतौनी संख्या 277, खसरा संख्या 821/16 (5-18) में से 5के-18 मीटर माप वाली भूमि का 5/59 हिस्सा है, गांव फरल, उप तहसील ढांड और जिला कैथल हरियाणा की जमाबंदी के अनुसार, जो इस प्रकार घिरा है: सीमाएं: पूर्व: दिनेश कुमार का घर; पश्चिम: चंद्र पाल का घर; उत्तर: सड़क और दक्षिण: गुलाब सिंह का घर।

नियम एवं शर्तें :
ई-नीलामी "**जहां है जैसे है**", "**जो है यही है**" तथा "**जो कुछ भी है वहीं है**" आधार पर आयोजित की जायेगी।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति प्रबाकरन (मो. संख्या 7418281709) (इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर- 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडी: **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोटल- **https://www.bankeauctions.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर-से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले बिक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

तिथि: 15.05.2025 **स्थान:** नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक**